राजस्थान सरकार

खान(ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक - प.14(6)खान/ग्रुप-2/2015पार्ट-65 जयपुर, दिनांक 22 AUG 2019

Most Imp.

निदेशक

खान एवं भू-विज्ञान विभाग,

उदयपुर।

विषय - सैण्डस्टोन खनन पट्टों/क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों में वैट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क उपयोग करने बाबत।

राज्य के कतिपय जिलों में सेण्डस्टोन का खनन कार्य किया जाता है वहाँ पर खान श्रमिकों के सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने के प्रकरण सामने आये है। सिलिकोसिस की बीमारी से बचने के उपाय निरोधात्मक ही हो सकते है जिसके तहत सिलिकामय धूल के कणों को श्वास में जाने से रोका जाना होता है। इस दिशा में खनन कार्य में वैट ड्रिलिंग पद्धति को अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। वैट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क के उपयोग के संबंध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 34(2)(v) व (vi) में भी प्रावधान किया गया है।

खान विभाग द्वारा सेण्डस्टोन खनन कार्य में वैट ड्रिलिंग पद्धति अपनाये जाने हेतु सभी खनन पट्टाधारकों/क्वारी अनुज्ञापत्र धारकों को पाबंद किया हुआ है परंतु इसके बावजूद नियमों की कड़ाई से पालना नहीं की जा रही है. इस संबंध में आपको पूर्व में भी शासन स्तर से कई बार निर्देशित किया जा चुका है पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि वैट ड्रिलिंग एवं डस्ट मास्क के उपयोग की दृष्टि से भी विभाग के अधिकारियों द्वारा खानों/क्वारी अनुज्ञापत्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जावे। वैट ड्रिलिंग का उपयोग/डस्ट मास्क प्रयोग में नहीं लेने वाले खनन पट्टाधारियों/क्वारी लाइसेंस धारियों को नियमानुसार दण्डित करने की कठोर कार्रवाई अमल में लाई जावे। इसमें खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स को खण्डित करना भी सम्मिलित है।

उक्त कार्रवाई अमल में लाने के साथ-साथ आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप सिलिकोसिस की प्रभावी रोकथाम हेतु जिला स्तर पर PHC/CHC, जिला प्रशासन, खनन पट्टाधारियों/क्वारी लाइसेंसधारियों के एसोसियेशन, खनन श्रमिक एसोसियेशन, एन0जी0ओ0 आदि के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त टीमें बनाकर सिलिकोसिस प्रभावित/संभावित खनन क्षेत्रों में खान मालिकों/श्रमिकों में जागृति उत्पन्न करने तथा नियमों की प्रभावी क्रियान्वति के लिये मासिक रूप से जागरूकता शिविरों का आयोजन कराना सुनिश्चित करावें। इन शिविरों में निदेशालय स्तर/जोन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों का भाग लिया जाना भी आवश्यक होगा। इन जिलेवार आयोजित शिविरों का कार्यवाही विवरण मय फोटोग्राफ निदेशालय स्तर पर संकलित कर शासन को त्रैमासिक रूप से भिजवायें।

उक्त निर्देशों की पालना कड़ाई से सुनिश्चित की जाए।

22.8.2019

(सुदर्शन सेठी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

ADM(E&D)

इस परिपत्र से विभागीय website पर mine owners एवं विभागीय अधिकारियों/... को पालनार्थ डालें एवं सभी ... अधिकारियों को ... पाबंद करें

26/8